GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 95
ANSWERED ON TUESDAY, THE 26TH JULY, 2022

VIOLATION OF CSR PROVISIONS

QUESTION

95. Dr. Kirodi Lal Meena:
Will the Minister of Corporate Affairs be pleased to state:

(a) whether the accountability of CSR Committee and Board and audit provisions of companies provide ample safety measures for utilization of funds in existing legal provisions;

(b) if so, the number of cases of violation of CSR provisions till date and whether any action has been taken against such companies as per the provision of the Act after proper examination of records and compliance of due process of law;

(c) the details of amount utilised by each Central Public Undertaking under CSR fund during the last three years; and

(d) the details of utilisation of CSR funds during these financial years, State-wise?

ANSWER

THE MINISTER OF FINANCE
AND CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) TO (d) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 95 FOR 26TH JULY, 2022 REGARDING VIOLATION OF CSR PROVISIONS

(a) & (b): The broad framework for Corporate Social Responsibility (CSR) has been provided through Section 135 of the Companies Act, 2013 ('Act'), Schedule VII of the Act and Companies (CSR Policy) Rules, 2014. Under the Act, CSR is a Board driven process and the Board of the company is empowered to plan, decide, execute and monitor CSR activities based on the recommendations of its CSR Committee. The CSR framework is disclosure based and CSR mandated companies are required to file details of CSR activities annually in the MCA21 registry. The CSR mandated companies are required to provide additional information in their Profit & Loss Account regarding amount of expenditure incurred on CSR activities and the same is required to be audited by the statutory auditors of the company. Further, Ministry has notified the Companies (Auditor's Report) Order, 2020, ("CARO, 2020") applicable from FY 2021-22 which requires auditors to state details of any unspent CSR amount. The Board of the company is also required to disclose the CSR Policy implemented by the company in its Board report. Thus, the corporate governance framework along with the existing legal provisions such as mandatory disclosures, accountability of the CSR Committee and the Board, provisions for statutory audit of accounts of the company etc. provide adequate mechanisms for monitoring the CSR activities implemented by the companies.

The Government monitors the disclosures made by the companies in the MCA 21 portal. Whenever any violation of CSR provisions is reported, action against such non-compliant Companies is initiated as per provisions of the Act after due examination of records and following due process of law. Earlier, CSR related defaults were compoundable offences. So far, sanction for prosecution has been accorded in 366 cases. Of these, 155 applications for compounding have been made and 105 cases have been compounded. Now, the non-compliance of CSR provisions has been converted as a civil wrong w. e. f. 22nd January, 2021.

(c) & (d): All data related to CSR filed by companies in MCA21 registry is available in public domain at www.csr.gov.in. On the basis of annual filings made by the companies in the MCA 21 registry, CSR spent by Central Public Sector Undertakings (CPSUs) for the financial years (FY) 2018-19 to FY 2020-21 are given below:

Particulars	**FY 2018-19**	**FY 2019-20**	**FY 2020-21**
CSR Expenditure by Central PSUs (in Cr.)	3,986.35	5,023.57	4,184.39

(Data up to 31.03.2022) [Source: National CSR Data Portal]

State-wise details of CSR spent by Central Public Sector Undertakings (CPSUs) for the FY 2018-19 to FY 2020-21 are at Annexure.

Further, the companies are required to file the CSR data for the FY 2021-22 on or before 31st March, 2023.

*****

Annexure

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (c) & (d) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 95 FOR 26.07.2022

State-wise details of CSR Expenditure by Central PSUs (Amount in Crore)				
S. No.	**State/UT**	**FY 2018-19**	**FY 2019-20**	**FY 2020-21**
1	Andaman And Nicobar	0.00	-	0.09
2	Andhra Pradesh	48.86	32.22	35.60
3	Arunachal Pradesh	4.02	6.68	3.54
4	Assam	165.87	221.78	92.95
5	Bihar	29.87	8.23	7.51
6	Chandigarh	0.17	0.08	-
7	Chhattisgarh	85.92	86.51	185.81
8	Dadra and Nagar Haveli	0.13	-	0.44
9	Delhi	173.63	208.69	45.74
10	Goa	4.39	4.23	4.54
11	Gujarat	76.26	13.79	23.51
12	Haryana	18.63	10.49	9.36
13	Himachal Pradesh	47.50	39.10	49.34
14	Jammu and Kashmir	7.40	8.12	21.68
15	Jharkhand	59.91	92.14	94.87
16	Karnataka	167.74	168.27	82.98
17	Kerala	37.33	52.88	23.35
18	Madhya Pradesh	103.10	37.12	129.24
19	Maharashtra	96.45	243.45	210.00
20	Manipur	1.49	4.36	4.10
21	Meghalaya	3.95	9.09	2.00
22	Mizoram	0.11	-	0.02
23	Nagaland	0.11	0.63	0.26
24	Odisha	521.85	506.24	287.38
25	Puducherry	2.37	-	0.02
26	Punjab	5.53	1.97	2.36
27	Rajasthan	34.17	9.72	3.06
28	Sikkim	1.29	1.05	8.06
29	Tamil Nadu	105.76	124.72	69.35
30	Telangana	27.53	30.71	25.91
31	Tripura	20.50	7.17	5.41
32	Uttar Pradesh	151.59	74.70	117.39
33	Uttarakhand	99.21	54.63	47.04
34	West Bengal	40.71	27.75	59.11
35	NEC/ Not mentioned*	-	9.68	168.24
36	PAN India*	1,275.13	2,478.92	1,416.51
37	Contribution to Funds included in Schedule VII of the Act	567.88	448.44	947.63
	Grand Total (in Cr.)	**3,986.35**	**5,023.57**	**4,184.39**

(Data up to 31.03.2022) [Source: National CSR Data Portal]

***Companies either did not specify the names of States or indicated more than one State where projects were undertaken.**

*****

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या. *95
(जिसका उत्तर मंगलवार, 26 जुलाई, 2022 को दिया गया)

सीएसआर उपबंधों का उल्लंघन

***95. डा. किरोड़ी लाल मीणा:**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौजूदा कानूनी प्रावधानों में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति और बोर्ड की जवाबदेही तथा कंपनियों की लेखा परीक्षा संबंधी उपबंधों में निधि के उपयोग के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज तक सीएसआर उपबंधों के उल्लंघन के कितने मामले सामने आए हैं और क्या रिकार्ड की उचित जांच और सम्यक् विधि प्रक्रिया के अनुपालन के बाद इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार ऐसी कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा सीएसआर निधि के अधीन उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त वित्तीय वर्षों के दौरान सीएसआर निधि के उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

"सीएसआर उपबंधों का उल्लंघन" के संबंध में दिनांक 26 जुलाई, 2022 को राज्य सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 95* के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के व्यापक ढांचे का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, इस अधिनियम की अनुसूची VII तथा कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के माध्यम से किया गया है। इस अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है तथा कंपनी बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उनके संबंध में निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए अधिकृत है। सीएसआर ढांचा प्रकटन आधारित है तथा सीएसआर अधिदेशित कंपनियों से यह अपेक्षित कि वे एमसीए21 रजिस्ट्री सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा वार्षिक रूप से फाइल करें। सीएसआर अधिदेशित कंपनियों से यह भी अपेक्षित है कि वह सीएसआर कार्यकलापों पर होने वाली व्यय की राशि के संबंध में अपने लाभ एवं हानि खाता में अतिरिक्त सूचना प्रदान करें तथा इसकी समीक्षा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जानी अपेक्षित है। इसके अलावा, मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से प्रयोज्य कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020, ("सीएआरओ, 2020") को अधिसूचित किया है जिसके लिए लेखापरीक्षकों द्वारा किन्हीं अव्ययित सीएसआर राशि के ब्यौरे का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है। कंपनी बोर्ड से यह भी अपेक्षित है कि वह अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति का प्रकटन करें। इस तरह, अधिदेशात्मक प्रकटन, सीएसआर समिति तथा बोर्ड की जवाबेदही, कंपनी के खातों की सांविधिक लेखापरीक्षा हेतु उपबंध जैसे मौजूदा विधिक उपबंधों सहित कारपोरेट गवर्नेंस ढांचे में कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किए गए सीएसआर कार्यकलापों की निगरानी करने हेतु पर्याप्त तंत्र का प्रावधान किया गया है।

सरकार एमसीए21 पोर्टल में कंपनियों द्वारा किए गए प्रकटनों की निगरानी करती है। जब कभी भी सीएसआर उपबंधों का उल्लंघन किए जाने की कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है, ऐसी गैर-अनुपालक कंपनियों के विरूद्ध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रिकॉर्डों की सम्यक जांच करने के पश्चात तथा विधि की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कार्रवाई आरंभ की जाती है। अब तक, 366 मामलों में अभियोजन हेतु संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इनमें से प्रशमन हेतु 155 आवेदन किए गए हैं तथा 105 मामलों को प्रशमित कर दिया गया है। अब सीएसआर उपबंधों का अनुपालन नहीं किए जाने को दिनांक 22 जनवरी, 2021 से सिविल दोष के रूप में मान लिया गया है।

(ग) और (घ): एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल किए गए सीएसआर से संबंधित सभी आंकड़ें सार्वजनिक डोमेन में वेबसाइट www.csr.gov.in पर उपलब्ध है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण	वि.व. 2018-19	वि.व. 2019-20	वि.व. 2020-21
सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों द्वारा किया गया सीएसआर व्यय (करोड़ रु में)	3,986.35	5,023.57	4,184.39

(31.03.2022 तक के आंकड़ें) **[स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]**

वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा किए गए सीएसआर व्यय की राशि का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

इसके अलावा, कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर डाटा 31 मार्च, 2023 को या उससे पूर्व फाइल करें।

अनुलग्नक

राज्य सभा के दिनांक 26.07.2022 के तारांकित प्रश्न संख्या 95 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा राज्यवार किया गया सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रु में)				
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वि.व. 2018-19	वि.व. 2019-20	वि.व. 2020-21
1	अंडमान और निकोबार	0.00	-	0.09
2	आंध्र प्रदेश	48.86	32.22	35.60
3	अरुणाचल प्रदेश	4.02	6.68	3.54
4	असम	165.87	221.78	92.95
5	बिहार	29.87	8.23	7.51
6	चंडीगढ़	0.17	0.08	-
7	छत्तीसगढ़	85.92	86.51	185.81
8	दादरा और नगर हवेली	0.13	-	0.44
9	दिल्ली	173.63	208.69	45.74
10	गोवा	4.39	4.23	4.54
11	गुजरात	76.26	13.79	23.51
12	हरियाणा	18.63	10.49	9.36
13	हिमाचल प्रदेश	47.50	39.10	49.34
14	जम्मू-कश्मीर	7.40	8.12	21.68
15	झारखंड	59.91	92.14	94.87
16	कर्नाटक	167.74	168.27	82.98
17	केरल	37.33	52.88	23.35
18	मध्य प्रदेश	103.10	37.12	129.24
19	महाराष्ट्र	96.45	243.45	210.00
20	मणिपुर	1.49	4.36	4.10
21	मेघालय	3.95	9.09	2.00
22	मिजोरम	0.11	-	0.02
23	नागालैंड	0.11	0.63	0.26
24	ओडिशा	521.85	506.24	287.38
25	पुडुचेरी	2.37	-	0.02
26	पंजाब	5.53	1.97	2.36
27	राजस्थान	34.17	9.72	3.06
28	सिक्किम	1.29	1.05	8.06
29	तमिलनाडु	105.76	124.72	69.35
30	तेलंगाना	27.53	30.71	25.91
31	त्रिपुरा	20.50	7.17	5.41
32	उत्तर प्रदेश	151.59	74.70	117.39
33	उत्तराखंड	99.21	54.63	47.04
34	पश्चिम बंगाल	40.71	27.75	59.11
35	एनईसी / उल्लिखित नहीं किया *	-	9.68	168.24
36	पैन इंडिया **	1,275.13	2,478.92	1,416.51
37	अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल निधियों में अंशदान	567.88	448.44	947.63
	कुल योग (करोड़ रु में)	**3,986.35**	**5,023.57**	**4,184.39**

(आंकड़ें 31.03.2022 तक के) **[स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]**

***कंपनियों ने या तो राज्यों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए हैं या एक से अधिक राज्यों के नाम को इंगित किया है जहां परियोजना शुरू की गई थी।**

*****

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Kirodi Lal Meena, please put your first supplementary. ...(Interruptions)..

डा. किरोड़ी लाल मीणा : सर, इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी एंड मालन्यूट्रीशन तथा एनवायरन्मेंटल सस्टेनेबिलिटी हेतु राजस्थान में सीएसआर में कितनी राशि कब-कब उपलब्ध कराई गई? ...(**व्यवधान**)...

राव इन्द्रजीत सिंह : सर, माननीय मीणा जी ने सीएसआर के ऊपर सवाल पूछा है। ...(**व्यवधान**)... मैंने इसका जवाब दिया है कि जो सीएसआर फ्रेमवर्क है, वह पर्याप्त है। ...(**व्यवधान**)... इसके बाद इन्होंने सप्लीमेंटरी में यह पूछा है कि राजस्थान के अन्दर इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी एंड मालन्यूट्रीशन तथा एनवायरन्मेंटल सस्टेनेबिलिटी में पिछले तीन सालों के अन्दर कितना पैसा खर्च हुआ है। ...(**व्यवधान**)... सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इसके तहत सन् 2018-19 के अन्दर 15.24 करोड़ एवं 31.21 करोड़ खर्च किया गया, 2019-20 के अन्दर 19.75 एवं 26.60 करोड़ खर्च किया गया और 2020-21 के अन्दर 43.11 करोड़ एवं 49.97 करोड़ खर्च किया गया। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : सेकंड सप्लीमेंटरी। ...(**व्यवधान**)...

डा. किरोड़ी लाल मीणा : उपसभापति महोदय, क्या प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज में भी सीएसआर के द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है? ...(**व्यवधान**)... यदि हाँ, तो अगर राजस्थान से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होंगे, तो क्या सीएसआर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी? ...(**व्यवधान**)...

RAO INDERJIT SINGH: Mr. Deputy Chairman, Sir, Protection of National heritage is an eligible CSR activity. It is Board-driven exercise. ...(Interruptions).. हमने कंपनी के बोर्ड के ऊपर यह अख्तियार छोड़ा हुआ है कि वे फैसला करें, वे मॉनिटर करें और वे तय करें कि कहाँ-कहाँ, किसके ऊपर खर्च किया जा सकता है। ...(**व्यवधान**)... साथ-साथ हम यह भी मानते हैं कि जो भी कंपनीज़ हैं, वे भारत की तरक्की के अन्दर अपना योगदान दे रही हैं। ...(**व्यवधान**)... They are wealth creators. कोई कंपनी सीएसआर के लिए जो सारा का सारा पैसा खर्च करती है, हमने उसका कायदा बना रखा है कि वह किस चीज के ऊपर खर्च कर सकती है। ...(**व्यवधान**)... And, it is a Board-driven exercise. ...(Interruptions).. It is for the company to decide where to spend or where not to spend. ...(Interruptions)..

श्री उपसभापति : माननीय दीपक प्रकाश। ...(**व्यवधान**)...

श्री दीपक प्रकाश : सर, देश की आज़ादी के लम्बे अंतराल के बाद भी कई ज़िले आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ...(**व्यवधान**)... प्रधान मंत्री जी आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम के माध्यम से लगातार इन

ज़िलों को विकसित करने का काम कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सीएसआर के माध्यम से देश के अंदर जो आकांक्षी ज़िले हैं, खासकर झारखंड के अंदर ...(**व्यवधान**)... क्या सीएसआर के माध्यम से इनके लिए कोई विशेष कार्य योजना तैयार की गई है? ...(**व्यवधान**)...

राव इन्द्रजीत सिंह : जनाब, सीएसआर किसी भी तरह से किसी गवर्नमेंट की स्कीम में वायबिलिटी गैप फंडिंग के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। ...(**व्यवधान**)... जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ...(**व्यवधान**)... अगर उनके अंदर सीएसआर का पैसा कंपनी अपनी स्वेच्छा से खर्च करना चाहे तो कर सकती है। ...(**व्यवधान**)... इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है। ...(**व्यवधान**)... लेकिन हमारी तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं है कि आपको यहां पर पैसा खर्च करना है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राकेश सिन्हा : माननीय उपसभापति महोदय, सीएसआर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत हम ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : राकेश सिन्हा जी, एक मिनट। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्यगण, आप लोग अपनी-अपनी सीट पर जाइए, मैं सबको मौका दे रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप खड़े भी रहेंगे, स्लोगंस भी लगाएंगे, आपके मेम्बर्स वैल में हंगामा करेंगे और मैं आपको बोलने का मौका भी दूं। ...(**व्यवधान**)... Please be careful. ***...(Interruptions)...*** माननीय देरेक जी, मैं आपको मौका देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले आप बैठ जाएं और अपने मेम्बर्स को वापस बुलाएं, फिर सवाल पूछें। ...(**व्यवधान**)...

श्री राकेश सिन्हा : माननीय उपसभापति महोदय, सीएसआर एक महत्वपूर्ण फंड है, जिसका रचनात्मक प्रयोग होता है। ...(**व्यवधान**)... मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भारत के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारतीय ज्ञान परम्परा को महत्व दिया है, ...(**व्यवधान**)... माननीय प्रधान मंत्री जी के भारतीय ज्ञान परम्परा को महत्व देने के बाद से भारतीय ज्ञान परम्परा पर अध्ययन बढ़ा है। ...(**व्यवधान**)... क्या इस ओर सीएसआर के फंड को खर्च करने की कोई व्यवस्था है? ...(**व्यवधान**)... क्या सरकार इसमें एक सब-क्लॉज़ लगाएगी कि इसका कुछ प्रतिशत भारतीय ज्ञान परम्परा को आगे बढ़ाने में खर्च किया जाए? ...(**व्यवधान**)...धन्यवाद ...(**व्यवधान**)...

राव इन्द्रजीत सिंह : सर, भारतीय ज्ञान परंपरा पर अध्ययन eligible CSR activity है। मैंने पहले भी यह बात अर्ज़ की है कि सीएसआर की सारी की सारी फंडिंग बोर्ड ड्रिवन है। ...(**व्यवधान**)... हमने सिर्फ यह बताया है कि इसके तीन रूट्स हैं। ...(**व्यवधान**)... एक एक्टिविटी रूट है। ...(**व्यवधान**)... दूसरा फंड रूट है, जिसके अंदर निर्मल गंगा कोष, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, स्वच्छ भारत कोष इत्यादि आते हैं। ...(**व्यवधान**)... इसका तीसरा रूट है, जहां पर कोई वैज्ञानिक कोई विशेष रिसर्च करना चाह रहे हैं, उनको भी इसमें से फंड किया जा सकता है। ...(**व्यवधान**)...लेकिन प्रधान मंत्री राहत कोष या अन्य Schedule VII Fund के अंदर पैसा तब भी

जा सकता है, जब कम्पनियां वित्तीय वर्ष के दौरान CSR का पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाती हैं। कम्पनियों को वित्तीय वर्ष खत्म होने के छः महीने के अंदर इन फंडों में पैसे देने का प्रावधान है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 96, Shri Sandosh Kumar P.
...(Interruptions)...